

न्यायालय-अपर सत्र न्यायाधीश,कक्ष संख्या-1,भदोही।

उपस्थित:-

शैलोज चन्द्रा,
एच०जे०एस०।

अंतिम रिपोर्ट संख्या-151 सन् 2025



CNR No.UPSN010008942025

उत्तर प्रदेश राज्य

बनाम

अवधराज सिंह।

अपराध संख्या-760 सन् 2022

अन्तर्गत धारा-135 भा०वि०अधि०

एन्टी पावर थेफ्ट, थाना-भदोही

जनपद-भदोही।

आदेश

03-04-2025

पत्रावली प्रस्तुत हुई।

यह प्राथमिकी वादी मुकदमा विजय शंकर , अवर अभियन्ता के द्वारा पंजीकृत करायी गयी और उपभोक्ता के द्वारा मुकदमे से संबंधित राजस्व निर्धारण व शमन निर्धारण धनराशि का भुगतान एकमुश्त समाधान योजना के तहत कर दिया गया है इस संबंध में अधिशासी अभियंता विद्युत द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया है। विवेचक ने उपभोक्ता के द्वारा अर्थदंड की धनराशि का भुगतान कर देने के कारण अंतिम आख्या प्रेषित की है। वादी/विभाग द्वारा अंतिम आख्या को स्वीकार करने पर अनापत्ति दिया है।

अतः अंतिम रिपोर्ट स्वीकार की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(शैलोज चन्द्रा)

अपर सत्र न्यायाधीश,कक्ष संख्या-1

भदोही।